ए-12024/1/2019-प्रशा. ।बी

भारत सरकार

नीति आयोग

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भारत का शीर्ष नीति निर्माता (थिंक टैंक) है जो एक उत्प्रेरक के रूप में परिवर्तनकारी पहलों में शामिल रहा है और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग के तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नांकित हैं-

IV. **नीति और ज्ञानः** नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत अंतःक्षेप करता है और भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक तथा दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। साथ ही, यह केंद्र और राज्यों को निदेश और नीतिगत इनपुट के साथ-साथ संगत तकनीकी सलाह भी देता है।

V. **नवप्रवर्तनः** नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना ताकि खासकर जटिल प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन-चालित क्षेत्र में विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन केंद्रों, महाचुनौतियों, स्टार्ट-अप कारोबारों और अन्य स्व-रोज़गार कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिल सके।

VI. **अनुवीक्षण और मूल्यांकनः** साक्ष्य-आधारित नीति और कार्यक्रम डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्दृष्टि और फीडबैक उपलब्ध कराने हेतु जटिल इकनॉमीट्रिक मॉडलिंग तकनीकों और बड़े डेटा विश्लेषण की रुपरेखा निर्धारित करना, प्रयोग, समप्रयोग करना।

नीति आयोग को ऐसे युवा, प्रतिभाशाली, नवप्रवर्तनशील और ऊर्जावान पेशेवरों की ज़रुरत है जो आज भारत में लिखी जा रही रोमांचक परिवर्तन गाथा से जुड़ी टीम का हिस्सा बनने के इच्छुक हों। इनमें से कुछ के ब्यौरे निम्नांकित हैं:

1	पद का नाम	**अधिप्राप्ति विशेषज्ञ** (विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन)
2	स्थानों की संख्या	**2**
3	भर्ती का तरीका	खुले बाज़ार से संविदा आधारित
4	आयु सीमा	विज्ञापन की तारीख को अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
5	संविदा की अवधि	2 वर्षों की अवधि के लिए।
6	पारिश्रमिक (प्रति माह)	80,000 से 1,45,000 / - रु।
7	शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> किसी भी विषय में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर।
8	अनुभव	परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति के क्षेत्र में, अधिमानत: अनुवीक्षण और मूल्यांकन तथा/अथवा विकास क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।
9	कार्य विवरण/आवश्यकता	सरकारी अधिप्राप्ति नीति और प्रक्रियाओं की जानकारी होना, बोली चक्रों के प्रबंधन, अधिप्राप्ति पैकेजों को व्यवस्थित करने, विचारार्थ विषयों को तैयार करने, बोली दस्तावेजों को तैयार करने और बोली प्रस्तावों के मूल्यांकन में अनुभव। भारत सरकार की अधिप्राप्ति संबंधी दिशा-निर्देशों [सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 और परामर्शी और अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए नियम पुस्तिका, 2017] और प्रक्रियाओं के

		संबंध में अनुभव आवश्यक है। बहुपक्षीय स्तर पर काम करने के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

अधिप्राप्ति विशेषज्ञ के नियोजन की निबंधन और शर्तें नीति आयोग के दिनांक 1.8.2018 के का.ज्ञा.सं. ए-12013/02/2015-प्रशा.I(बी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी। दिशा-निर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिप्राप्ति विशेषज्ञ के लिए स्थानों की संख्या भिन्न हो सकती है और यह अंनतिम है।

नोटः आवश्यक होने पर आवेदकों के आवेदन अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके उपयोग हेतु साझा किए जा सकते हैं।

आवेदनों की प्रस्तुतिः पात्र आवेदक इस विज्ञापन के समाचारपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिन के भीतर नीति आयोग की वेबसाइट पर दिए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। **आवेदन केवल ऑनलाइन किए जाएं।**